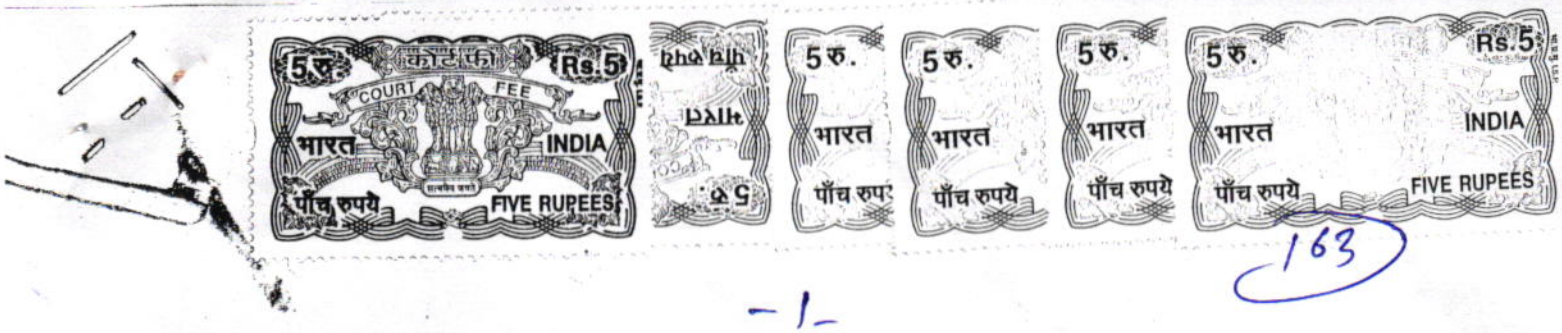

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

163

-1-

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
नि० 2739-II/16

निगरानी प्रकरण कमांक -दो/2016

भॅवर सिंह पुत्र हजारीलाल लोधी

ग्राम कलोथरा अब्बल

तहसील करैरा

मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

2- तहसीलदार तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---अनावेदकगण

(निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 सहपठित 8, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - तहसीलदार करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 166/2015-16 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 7-7-2016 के विरूद्ध)

शाखा प्रभारी (रा.अ.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

कृ0पृ030-2

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2739-दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा0आदि के हस्ताक्षर
17-8-2016	आवेदक की ओर से श्री जी0पी0नायक अभिभाषक ने यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 166/2015-16 अ-6-अ में पारित आदेश दिनॉक 7-7-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार करैरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम कलोथरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 944 रकबा 1.10 हैक्टर में से उसे रकबा 0.40 हैक्टर का तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 90/1989-90 अ-19 में पारित आदेश दिनॉक 27-7-1990 से आवन्टन हुआ था। यह भूमि आवेदक के नाम खसरा वर्ष 1999-90 में दर्ज हुई, परन्तु वाद में यह भूमि बन विभाग को सुरक्षित कर दी गई। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 3029/12 प्रस्तुत की गई, मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-5-12 के पालन में अपर कलेक्टर शिवपुरी ने आदेश दिनॉक 10-7-12 से भूमि बन विभाग को सुरक्षित करना निरस्त कर दिया। इसलिये आवेदक के नाम की बिना किसी सक्षम आदेश के खसरे से विलोपित की गई प्रविष्टि दुरूस्त की जावे। तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 166/2015-16 अ-6-अ पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 7-7-2016 पारित करके आवेदक का आवेदन समय-सीमा के वाहर मानते हुये निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक तथा शासन	

के पैनल लायर के तर्क सुने । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 166/2015-16 अ-6-अ में पारित आदेश दिनॉक 7-7-2016 के पद 2 में इस प्रकार अंकित किया है :-

" आवेदक व्दारा प्रस्तुत अभिलेखों से पाया गया कि खसरा पॅचशाला वर्ष 1985-86 लगायत 1989-90 के वर्ष 1989-90 के सर्वे नंबर 944 के रकबा 1.10 है. में से रकबा 0.40 है. के आवंटन की प्रविष्टि खसरा में अंकित है । "

अर्थात खसरा प्रविष्टि से आवेदक को सर्वे कमांक 944 के अॅश रकबा 0.40 हैक्टर के आवंटन की पुष्टि है जिसका आवन्टन तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 90/1989-90 अ-19 में पारित आदेश दिनॉक 27-7-1990 से हुआ है। तहसीलदार करैरा ने आदेश में आगे अंकित किया है कि प्रविष्टि फर्जी प्रतीत होती है यदि आवेदक को खसरे में फर्जी प्रविष्टि कराना होती - निश्चित है अॅश भाग 0.40 हैक्टर के बजाय वह सर्वे नंबर 944 के संपूर्ण रकबा 1.10 है. पर प्रविष्टि कराता। तहसीलदार का उक्त निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित होना पाया गया है।

4/ शासन के पैनल लायर ने तर्क दिया कि भूमि बन विभाग को आरक्षित हुई एंव अब म0प्र0शासन के नाम से है इसलिये खसरा सॅशोधित नहीं किया जाना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के अवलोकन से एंव तहसीलदार करैरा के आदेश दिनांक 7-7-16 के पद 3 में आई विवेचना के तथ्यों से स्थिति इस प्रकार है :-

" विवादित भूमि सर्वे कमांक 944 को श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय के प्रकरण कमांक 113/11-12/अ-59 में आदेश दिनांक 13.3.12 व्दारा बन विभाग को सुरक्षित किया गया। याचिकाकर्ता जसबंत सिंह व्दारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका कमांक 3029/12 दायर की गई। माननीय न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 7-5-12 में निर्देश दिये गये कि अपर कलेक्टर शिवपुरी विधि सम्मत आदेश पारित करें। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय व्दारा प्रकरण 53/11712 बी 121 आदेश दिनांक 10-7-2012 व्दारा बन विभाग को सुरक्षित की गई भूमि सर्वे कमांक 944 को निरस्त कर दिया। "

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2739–दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा0आदि के हस्ताक्षर

विचार किया जाना है कि जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में भूमि बन विभाग से वापिस ली गई, भूमि की स्थिति क्या रहेगी ? जब सर्वे क्रमांक 944 के कुल रकबा 1.10 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर का आवेदक पटटाधारी है है तब 1.10–0.40 = 0.70 हैक्टर म0प्र0शासन तथा 0.40 हैक्टर का आवेदक खसरे में भूमिस्वामी अभिलिखित होगा, किन्तु तहसीलदार करैरा ने प्रकरण क्रमांक 166/ 15–16 अ–6–अ में पारित आदेश दिनॉक 7–7–2016 में अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर वर्ष 1989–90 में दर्ज प्रविष्टियों को नजरन्दाज करने की भूल की है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा–117 – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वे सही है जब तक कि तत्प्रतिकूल सावित न कर दिया जाय।

विचाराधीन मामले में तहसीलदार करैरा ने आदेश दिनांक 7–7–16 पारित करने के पूर्व तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 90/1989–90 अ–19 को मॅगाकर नहीं देखा। तहसीलदार व्दारा पत्र क्रमांक 15–16/ अ–6–अ/5113 दिनांक 3–5–16 सचिव ग्राम पंचायत डुमघना को भेजकर वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में इन्दाज वावत् अभिमत मांगा है। ग्रामसभा के प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 22 दिनांक 12–10–14 के अनुसार भंवर सिंह पुत्र हजारी लाल लोधी का पटटा हुआ है वर्तमान में कम्प्यूटर में अमल नहीं है यदि कृषक भमर सिंह लोधी ग्राम कलोथरा अब्बल के सर्वे नंबर 944 रकबा 0.40 हैक्टेयर का कम्प्यूटर में अमल हो जाये तो ग्राम पंचायत को आपत्ति नहीं है। अतएव ग्राम पंचायत भी आवेदक के हित में पटटा होने की पुष्टि कर रही है एंव कम्प्यूटरीकृत खसरे में अमल के प्रस्ताव दे रही है इसके वाद भी तहसीलदार व्दारा आशॅका के आधार पर खसरा प्रविष्टि

गलत होने का अनुमान लगाने में भूल की गई है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक कम पढ़ा लिखा है एंव वाद विचारित भूमि उसके आजीविका का साधन है यदि यह भूमि उससे वापिस ले ली गई तो उसे आजीविका चलाने में मुश्किल आ जायेगी। यदि आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।
2. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायियक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

अतएव पाया गया कि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 166/ 15-16 अ-6-अ में आदेश दिनॉक 7-7-2016 पारित करते समय जानबूझकर उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 166/15-16 अ-6-अ में आदेश दिनॉक 7-7-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार करैरा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कलोथरा अब्बल स्थित भूमि सर्वे कमांक 944 के रकबा 0.40 हैक्टर पर आवेदक के नाम की प्रविष्ट भूमिस्वामी के रूप में शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् दर्ज की जावे।

सदस्य